नषिध कानून और मुद्दे

प्रलिम्सि के लये:

नजिता का अधकिार, शराब की बक्रिी पर प्रतबिंध लगाने वाले राज्य, राज्य के नीतनिदिशक सद्धिांत (DPSP), मौलकि कर्त्तव्य।

मेन्स के लयि:

भारत में प्रोहबिशिन एक्ट्स से जुड़ी चतिाएँ, अनुच्छेद 47 बनाम नजिता का अधकिार (अपनी पसंद के खाने और पीने के अधकिार सहति जीवन का अधकिार)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिार सरकार ने अवैध शराब नर्िमाण की नगिरानी के लयि ड्रोन का उपयोग करने का नर्िणय लयिा है।

- इसने नषिध अधनियिम के प्रावधानों को लागू करने के लयि भौतकि और वत्तिीय संसाधनों के उपयोग की उपयोगतिा पर बहस शुरू कर दी है।

प्रमुख बदि:

- **परचिय:**
  - **नषिध कानून द्वारा कसिी चीज़ को मना करने का कार्य या अभ्यास है:** वशिेष रूप से यह शब्द मादक पेय पदार्थों के नर्िमाण, भंडारण (चाहे बैरल में या बोतलों में), परविहन, बक्रिी, कब्ज़ा और खपत पर प्रतबिंध लगाने को संदर्भति करता है।
  - **संवैधानकि प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 47:** भारत के संवधिान में नर्िदेशक सद्धिांतों में कहा गया है कि **राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लयि हानकिारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों** को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतबिंध लगाने के लयि नयिम बनाएगा"।
    - **राज्य का वषिय: शराब, भारतीय संवधिान की** सातवीं अनुसूची **के तहत राज्य सूची में एक वषिय है।**
- **भारत में अन्य नषिध अधनियिम:**
  - **बॉम्बे आबकारी अधनियिम, 1878:** शराब **नषिध** पर **पहला संकेत बॉम्बे आबकारी अधनियिम, 1878** के **माध्यम से था**।
    - यह अधनियिम वर्ष 1939 और 1947 में कयिे गए संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों और शराब नषिध के पहलुओं पर नशीले पदार्थों को लेकर शुल्क लगाने से संबंधति था।
  - **बॉम्बे नषिध अधनियिम, 1949: बॉम्बे आबकारी अधनियिम**, **1878** में शराबबंदी लागू करने के सरकार के फैसले के दृष्टकिोण से "कई खामयिाँ" थीं।
    - इसके कारण बॉम्बे प्रोहबिशिन एक्ट, 1949 का जन्म हुआ।
    - सर्वोच्च न्यायालय **(SC)** ने वर्ष 1951 में बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा के फैसले में कुछ धाराओं को छोड़कर अधनियिम को व्यापक रूप से बरकरार रखा।
  - **गुजरात नषिध अधनियिम, 1949:**
    - गुजरात ने वर्ष 1960 में शराबबंदी नीतिको अपनाया और बाद में इसे और अधकि कठोरता के साथ लागू कयिा, लेकनि वदिशी पर्यटकों और आगंतुकों के लयि शराब परमटि प्राप्त करने की प्रक्रयिा को भी आसान बना दयिा।
    - वर्ष 2011 में, अधनियिम का नाम बदलकर गुजरात नषिध अधनियिम कर दयिा गया। वर्ष 2017 में गुजरात नषिध (संशोधन) अधनियिम को इस राज्य में शराब के नर्िमाण, खरीद, बक्रिी और परविहन पर दस साल तक की जेल के प्रावधान के साथ पारति कयिा गया था।
  - **बहिार मद्य नषिध अधनियिम, 2016:** बहिार मद्य नषिध और उत्पाद शुल्क अधनियिम 2016 में लागू कयिा गया था।
    - 2016 से कड़े शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख से अधकि लोगों को गरिफ्तार कयिा गया है, जसिके कारण जेलों में भीड़भाड़ है और अदालतें बंद हैं।
  - **अन्य राज्य:** मज़िोरम, नगालैंड राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासति प्रदेश लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है।
- **शराबबंदी के खलिाफ तर्क:**
  - **नजिता का अधकिार:**
    - कसिी व्यक्तिके भोजन और पेय पदार्थों के चुनाव के अधकिार में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप एक अनुचति प्रतबिंध के बराबर

है और व्यक्ति की निर्णयात्मक व शारीरिक स्वायत्तता को नष्ट कर देता है।
        - वर्ष 2017 के बाद से कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है।
    - **हिंसा की भावना: विभिन्न शोधों और अध्ययनों से पता चला है कि शराब हिंसा की भावना को बढ़ा देती है।**
        - महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा के अधिकांश अपराध बंद दरवाजों के पीछे होते हैं।
    - **राजस्व की हानि:** शराब से प्राप्त कर राजस्व किसी भी सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। ये सरकार को कई जन कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाती हैं। इन राजस्वों की अनुपस्थिति राज्य की लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
    - **रोज़गार का स्रोत:** आज भारतीय विदेशी शराब (आईएमएफएल) उद्योग हर साल करों में 1 लाख करोड़ से अधिक का योगदान देता है। यह लाखों किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है और उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करता है।
- **शराबबंदी के पक्ष में तर्क:**
    - **आजीविका पर प्रभाव:** शराब पारिवारिक संसाधनों नष्ट कर देती है और महिलाओं और बच्चों को इसके सबसे कमज़ोर शिकार के रूप में छोड़ देती है। कम से कम जहां तक परिवार इकाई का संबंध है, एक सामाजिक कलंक अभी भी शराब के सेवन से जुड़ा हुआ है।
    - **नियमित खपत को हतोत्साहित करें:** शराब के नियमित और अत्यधिक सेवन को हतोत्साहित करने के लिये सख्त राज्य विनियमन अनिवार्य है।
    - जैसा कि अनुसूची सात के तहत **राज्य सूची** में निषेध का उल्लेख है, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह शराबबंदी से संबंधित प्रावधान करे।

आगे की राह

- नैतिकता, निषेध या पसंद की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था, नौकरी आदि जैसे कारक भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचित और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को ऐसे कानून बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो ज़िम्मेदार व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं।
    - शराब पीने की उम्र को पूरे देश में एक समान किया जाना चाहिये और इससे नीचे के किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
    - सार्वजनिक रूप से शराब के नशे में व्यवहार, प्रभाव में घरेलू हिंसा और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिये।
    - सरकारों को शराब से अर्जित राजस्व का एक हिस्सा सामाजिक शिक्षा, नशामुक्ति और सामुदायिक समर्थन के लिये अलग रखना चाहिये।

स्रोत- द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prohibition-laws-and-issues